रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-सी.जी.-अ.-13042023-245138
CG-CG-E-13042023-245138

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1625] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 12, 2023/चैत्र 22, 1945
No. 1625] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 12, 2023/CHAITRA 22, 1945

रेल मंत्रालय

(दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे)

अधिसूचना

बिलासपूर, 29 मार्च, 2023

का.आ. 1704(अ).— केन्द्रीय सरकार, ने रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24), एवं रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 (2008 का 11) (जिसे इसमे इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20 'क' की उपधारा (1) के अधीन जारी, भारत का राजपत्र, असाधारण भाग (II), खण्ड 3, उपखण्ड (ii) तारीख 01 जून, 2022 मे प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेल्वे बोर्ड) की अधिसूचना संख्यांख का. आ. 2506 (अ) तारीख 09 मई, 2022 (जिसे इसमे इसके पश्चात उक्त अधिसूचना कहा गया है, द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबध्द अनुसूची मे विनिर्दिष्ट भूमि को, महाराष्ट्र राज्य कें नागपूर, भंडारा, चंद्रपूर जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात नागभिड – नागपूर ब्रॉड गेज परियोजना (106 कि.मी.) (उमरेड डब्लू. सी. एल. कनेक्टींग लाईन के साथ) विदयुतीकरण के साथ प्रस्तावित गेज रुपांतर (बीजी) करणे के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए अपेक्षित है, ऐंसी भूमि का अर्जन करने के आशय की घोषणा की थी ।

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20 क की उपधारा (4) के अधीन दैनिक समाचार पत्रों अर्थात "दैनिक राष्ट्रदूत" मे तारीख 25 जून, 2022 और "दैनिक सक्षम महाराष्ट्र" मे तारीख 25 जून, 2022 को प्रकाशित किया गया था।

और, मौजा तारणी एवं मौजा गांगापूर के प्रकरण मे 3 आक्षेप प्राप्त हुए थे और उन पर विचार किया गया है तथा सक्षम अधिकारी द्वारा तदनुसार आदेश पारित कर दिये गये है ।

और, उक्त अधिनियम की धारा 20(ङ:) की उपधारा (1) के अनुसरण मे सक्षम प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दी है ।

अतः अब केंद्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20(ङ:) की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबध्द अनुसूची मे विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी ।

और यह कि केंद्रीय सरकार उक्त अधिनियम कि धारा 20(ङ:) कि उपधारा (2) के अनुसरण मे यह घोषणा करती है कि राजपत्र मे इस अधिसूचना के प्रकाशित होने पर इससे उपाबध्द अनुसूची मे विनिर्दिष्ट भूमि सभी विलंगमो से मुक्त होकर केंद्रीय सरकार मे अत्यांकित रूप से निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के नागपूर जिले मे तालुका कुही, उमरेड, भिवापूर अंतर्गत निचे दिये गये गाव के लिए, सक्षम प्राधिकारी अर्थात उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, उमरेड, जिला नागपूर के अधीन विशेष रेल परियोजना अर्थात नागभिड – नागपूर ब्रॉड गेज परियोजना (106 कि.मी.) (उमरेड डब्लू. सी. एल. कनेक्टींग लाईन के साथ) विदयुतीकरण के साथ प्रस्तावित गेज रूपांतर (बीजी) करने के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि का संरचना या उसके रहित संक्षिप्त विवरण ।

अ. क्र.	भूसंपादन प्रकरण कमांक	जिले का नाम	तहसिल का नाम	गाव का नाम	7/12 अनुसार भूधारक का नाम	सर्वे नं.	भूधारणा पध्दती	7/12 अनुसार कुल क्षेत्र (हे. आर/ चौ.मि.)	अधिग्रहण क्षेत्र (हे. आर / चौ.मि.)
1	01/अ–65/2021–22	नागपूर	उमरेड	गांगापूर	सत्यनारायण ओमप्रका"ा अग्रवाल एवं अन्य	40/2	1	2.02	0.568
2					अंजली गौरव अग्रवाल एवं अन्य	21	1	1.62	0.856
3					मधुकर आडकूजी गिरडकर एवं अन्य	19	1	1.9	0.34
							कुल	**5.54**	**1.763**
1	12/अ–65/2021–22	नागपूर	कुही	तारणी	सजाबाई गणपत मेश्राम एवं अन्य	172	1	1.18	0.092
2					गणपती पांडुरंग उमरेडकर एवं अन्य	149/1	1	6.03	1.05
							कुल	**7.21**	**1.1415**

[फा. सं. सी.ए.ओ./सी./बी.एस.पी./एम.आर.आई.डी.सी.एल./नागपुर –नागभिड/नागपुर जिला/20ड.]

नरेश चंद्र करमाली, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS

(South East Central Railway)

NOTIFICATION

Bilaspur, the 29th March, 2023

S.O. 1704(E).—Whereas, by the notification of the Government of India, in the Ministry of Railways (Railway Board), number, S. O. 2506 (E) dated the 9th May, 2022 published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3 Sub – section (ii), dated the 1st June, 2022 (here in after referred to as the said notification) and issued under sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) and Railways (Amendment) Act 2008 (11 of 2008) (here in after referred to as the said Act), the Central Government declares its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for the purpose of execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project, namely Nagbhir –Nagpur Gauge Conversion Project (106 Km) (including proposed rail connectivity from Umrer BG Yard to existing WCL Yard at Umrer) with electrification in the District of Nagpur, Bhandara, Chandrapur in the State of Maharashtra.

And whereas, the substance of the said notification was published in daily newspapers namely "Dainik Rashtradoot" Dated 25th June, 2022 and "Dainik Saksham Maharashtra" Dated 25th June, 2022 under sub section (4) of section 20A of the said Act;

And whereas, in Mouza Tarni & Mouza Gangapur 3 objections were received and the same have been considered by the competent Authority accordingly orders have been passed.

And whereas, in pursuance of sub-section 20E of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now therefore, upon receipt of the report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands specified in the schedule annexed here to shall be acquired for the aforesaid purpose; And further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the official Gazette; the land specified in the schedule annexed here to shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structures, falling within the Special Railway Project namely, Nagbhir-Nagpur Gauge Conversion Project (106 Km) (including proposed rail connectivity from Umrer BG Yard to existing WCL Yard at Umrer) with electrification in following villages in Kuni, Umred & Bhiwapur Taluka, District Nagpur under Competent Authority for Sub-Divisional Officer and Land Acquisition Officer, Umred, District Nagpur in the State of Maharashtra.

Sr. No.	Land Acquisition Case No.	Name of District	Name of Taluka	Name of Village	Land owner's name as per 7/12	Survey Number	Land holding method	Total area as per 7/12 (H.R./Sq.M.)	Acquisition Area in (H.R./Sq.M)
1	**01/A-65/ 2021-22**	**Nagpur**	**Umred**	**Gangapur**	Satyanarayan Omprakash Agrawal & Others	40/2	1	2.02	0.5676
2					Anjali Gaurav Agrawal & Others	21	1	1.62	0.8555
3					Madhukar Adkuji Giradkar & Others	19	1	1.90	0.3402
						Total		**5.54**	**1.7633**
1	**12/A-65/ 2021-22**	**Nagpur**	**Kuhi**	**Tarni**	Sajabai Ganpat Meshram & Others	172	1	1.18	0.0915
2					Ganpati Pandurang Umredkar & Others	149/1	1	6.03	1.0500
						Total		**7.21**	**1.1415**

[F. No. CAO/C/BSP/MRIDCL/NGP-NAB/Nagpur Dist/20E]

NARESH CHANDRA KARMALI**,** Chief Administrative Officer (Con)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
KUMER CHAND MEENA Digitally signed by KUMER CHAND MEENA Date: 2023.04.13 13:39:53 +05'30'